न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 27 / 2025	2025 / 192	03.06.2025	25.08.2025

1. मु0 बसमीना पुत्र स्व0 नसरूदीन पत्नि मुस्ताक, जाति मेव निवासी बडाबास ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर हाल निवासी ग्राम नसीपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. फरमान अल पुत्र स्व0 श्री नसरूदीन जाति मेव निवासी ग्राम बडाबास ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर दिनांक 21.10.2022 बाबत इन्तकाल संख्या 1196 ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर।

उपस्थितः—
01. श्री जगदीश चन्द सतीज —वकील अपीलान्ट
02. श्री ओमानन्द चौधरी —वकील रेस्पो0

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नौगांवा के आदेश दिनांक 21.10.2022 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 1196 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई। अभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि न्यायालय तहसीलदार नौगांवा द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 21.10.2022 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी तरह का कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न ही नोटिस देकर तलब किया। जबकि आलोच्य आदेश जिस तथाकथित वसीयत से सम्बन्धित है, वह अपंजीकृत दस्तावेज है और फर्जी एवं कूटरिचत है, जिस बाबत एफ.आई.आर. संख्या 449 / 2023 पुलिस थाना शहर कोतवाली, अलवर में दर्ज करवाई हुई है। चूँकि तथाकथित वसीयत अपंजीकृत है, जिस कारण न्याय की दृष्टि से मृतक नसरूदीन के विधिक वारिसान अर्थात उसकी 6 पुत्रियों एवं 4 पुत्रों को नोटिस देकर तलब करना चाहिये था और गंभीरता पूर्वक वसीयत की जांच करनी चाहिये थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया। आलोच्य इंतकाल की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26—9—2023 को हुई जिस पर उसी दिन इंतकाल की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 03—10—2023 को प्राप्त हुई। इसके बाद वकील साहब ने कहा कि जिस फैसले के आधार पर इंतकाज दर्ज हुआ है, उसकी नकल नहीं है, वो भी निकलवाओ, इस पर फैसले की नकल हेतु दिनांक 11—10—2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 25—10—2023 को सांयकाल प्राप्त हुई। तत्पश्चात् यह अपील अविलम्ब ही पेश है। चूँकि अपीलान्ट ग्रामीण महिला है तथा कानून कायदे से वाकिफ नहीं है तथा पूर्व में मिन अपीलांट को आलोच्य आदेश व इंतकाल के बारे में कोई जानकारी किसी तरह की नहीं थी। कुल कार्यवाही अपीलांट के बाला—बाला की गई है। इसलिए अपील विलंब

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

से पेश किए जाने में मिन अपीलांट की कोई बदयांति व लापरवाही किसी तरह की नहीं रही है तथा विलंब का कारण नेक नियति पर आधारित होने से विलंब का समय मियाद में मुजरा दिए जाने एवं अपील अंदर मियाद स्वीकार किए जाने योग्य है। जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है।

इंतकाल अंतर्गत आराजी हाल खसरा नंबर 1782 रकबा 1.23 है0, 1784 रकबा 0.82 है0, 447 रकबा 0.07 है0, 448 रकबा 0.68 है0, 449 रकबा 0.06 है0 व 1791 रकबा 0.12 है० किता 6 कुल रकबा 2.98 है0 मुन्दर्ज खाता संख्या नया 718 ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील रामगढ हाल तहसील नौगांवा जिला अलवर राज० में स्थित है जो कि अपीलांट के पिता श्री नसरूदीन पुत्र श्री अब्दुल्ला जाति मेव निवासी बडाबास रघुनाथगढ़ तहसील नौगांवा जिला अलवर की कब्जे काश्त खातेदारी की थी। नसरूदीन का स्वर्गवास दिनांक 19.05.2018 को निर्वसीयत हो गया था, जिसके विधिक वारिसान अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट व अन्य सभी वारिसों, जो कि कानूनी वारिस काबिज जायदाद हैं, विवादित आराजी पर मुश्तर्का में काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। रेस्पोडेन्ट ने मिन अपीलांट का हिस्सा हड़पने की मंशा से नसरूदीन के मरणोपरांत उसका फर्जी कूटरचित वसीयतनामा षडयंत्र पूर्वक अपने पक्ष में तैयार कराया है, जिस पर अपीलांट के पिता नसरूदीन के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं तथा उक्त फर्जी कूटरचित वसीयतनामा की आड़ में पटवारी हल्का मिल्लत करके बोला-बोला आलोच्य आदेश पारित करवाकर उसके आधार पर आलोच्य इंतकाल अपने नाम दर्ज व स्वीकृत कराया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बनाई गई वसीयत दिनांक 21.03.2017 एकदम फर्जी एवं कूटरचित है, जो कि अनरजिस्टर्ड है, जिस पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार साहब द्वारा किसी तरह की जांच नहीं की गई न अपीलांट एवं मृतक नसरूदीन के अन्य विधिक वारिसान को नोटिस देकर तलब किया। इसलिए आलोच्य आदेश न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण भी निरस्त किए जाने योग्य है। मुस्लिम विधि के तहत कोई भी व्यक्ति अपने 1/3 हिस्से से अधिक की संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी विवादित वसीयत आरंभ से ही शून्य है। इसलिए भी आलोच्य आदेश व उसके आधार पर दर्ज व मंजूर किया गया इंतकाल निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट आराजी मुतनाजा को दीगर लोगों को रहन बैय हिबा आदि के मुन्तकिल मकफूल करने पर उतारू हो रहा है। यदि वह अपने इस बेजा मकसद में सफल हो गया तो मिन अपीलांट को अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। विवादित आराजी अबट है, जिस पर मिन अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अपने पिता स्वर्गीय श्री नसरूदीन के जीवनकाल से ही शामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी पर तन्हा रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त नहीं है न उसका कोई हक व अधिकार तन्हा रूप से है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौगांवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 तथा इसके आधार पर दर्ज व स्वीकृत किए गए इंतकाल संख्या 1196 दिनांक 10–01–2023 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील आज्ञा तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर दिनांक 21.01.2022 कि जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 1196 इलरंक 10.01.2023 तस्दीक किया गया है, के खिलाफ अदालत श्रीमान में पेश की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौंगावा जिला अलवर द्वारा उक्त आज्ञा सर्वसाधारण को उजरदारी इश्तहार व नोटिस जारी करने के उपरान्त कोई उजरदारी पेश नही होने पर पारित की गई हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित गवाह को तलब कर बयान दर्ज किये गये, एंव उजरदारी इश्तहार एवं नोटिस जारी किये गये, जो समस्त प्रक्रिया विवादित प्रकरण की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि नोटिस व इश्तहार उजरदारी धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत ही जारी होते हैं, जो विवादित इन्तकाल की श्रेणी में आते हैं। इसलिये अपीलाधीन आज्ञा विवादित होने के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

कारण उसके खिलाफ अपील अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नहीं आने से अदालत श्रीमान में पोषणीय नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आज्ञा के खिलाफ विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अनुसार विवादित इंतकाल की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित हैं। लेकिन अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर क्षेत्राधिकार विहिन अपील अदालत श्रीमान में पेश की गई हैं। इसलिए अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अदालत श्रीमान में पोषणीय न होकर प्रथम स्टेज पर ही सव्यय खारिज किए जानें योग्य हैं।

अतः रेस्पोडेन्ट जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रथम स्टेज पर ही सुनवाई कर सव्यय खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद का पेश कर विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने का निवेदन किया है। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर सुना गया। अपीलान्ट को आलोच्य इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.09.2023 को हुई। जिसकी नकल दिनांक 03.10.2023 को प्राप्त हुई एवं निर्णय की नकल हेतु न्यायालय तहसीलदार नौगांवा में दिनांक 11.10.2023 को आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 25.10.2023 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई। जानकारी होने के दिनांक से नेक नियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी व मयाद का मुजरा दिये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर मूल अपील में वर्णित तथ्यों के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगावा द्वारा मृतक नसरूदीन के विधिक वारिसान को अपंजीकृत वसीयत पर विधिवत् सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही आलौच्य निर्णय दिनांक 21.10.2022 पारित किया गया। जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 1196 दिनांक 10.01.2023 तस्दीक कर दिया गया। जो विधि विरूद्ध एवं न्यायसंगत प्रतीत नही होना पाया जाता हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार नौगांवा का निर्णय दिनांक 21.10.2022 बाबत इन्तकाल संख्या 1196 दिनांक 10.01.2023 ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नौगांवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को अपंजीकृत वसीयत पर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर राजस्थान